

13.6.18 पत्रावली न्याय आदेशों आर-२०१४ में न्यायालय हाजरा में पेश  
हुई मालिकी के आदेशों का उपासी है मालिकी आदेशों में  
रूपान्तरण पत्रावली प्रस्तुत होने अवगत कराया। इस पर  
कार्यालय में विचारार्थ पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
तो आवेदन में राजस्थान ग्र-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में वृषि  
क्षेत्रों का अन्वेषण प्रयोजन रूपान्तरण) नियम २००७ के तहत प्रौद्योगिक  
(मेकैटल टचर) प्रयोजन रूपान्तरण शुल्क राजकोष में जमा

हो चुका है। संपरिवर्तन आदेश जारी होने की  
 प्रक्रिया किंगशर्मा है। लिहाजा लक्ष्मि केशव  
 द्वारा मार्केटा पत्र पार 177 राज-कार्यकारी प्रवेष्टिमा  
 1955 निरस्त किया-जाता है। फणावली फंसल  
 शुमार होकर इन नामों से-आए। आदेश रकले  
 न्यायालय में सुनाया जाय।

उप खण्ड अधिकारी  
 साँभर लेक